न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली

पीठासीन अधिकारी : डॉ. बजरंग सिंह, आर.ए.एस.

राजस्व अपील : 06/2021

जी.सी.एम.एस. : 2021/15

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट
तहसीलदार (भूमिधारी) सोजत, तहसील सोजत, जिला पाली राजस्थान		1. पताराम पुत्र पोकरराम जाति सीरवी निवासी नई ढाणी तहसील सोजत जिला पाली 2. जोगी देवी पत्नी हुकमाराम जाति सीरवी निवासी नई ढाणी पटवार हल्का सरदार समन्द तहसील सोजत जिला पाली।

"अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956"

उपस्थित :–

1. अपीलाण्ट की ओर से अधिवक्ता श्री सुमेरसिंह राजपुरोहित।
2. रेस्पोडेन्ट्स की ओर से अधिवक्ता श्री महेन्द्र चौधरी।

–: निर्णय :–

दिनांकः– 28/01/2025

अपीलाण्ट की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत तहसीलदार सोजत के नामान्तरकरण संख्या 299 दिनांक 18.06.2018 के विरूद्ध पेश की है। अपील म्याद बाहर होने से धारा 5 लिमिटेशन एक्ट के तहत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश किया। अपील सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया। उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गयी।

अधिवक्ता अपीलाण्ट ने दौराने बहस कथन किया कि मौजा सरदारसमन्द के खसरा संख्या 513 रकबा 17.5400 हैक्टेयर की कृषि भूमि में से अप्रार्थी संख्या 1 पताराम पुत्र पोकरराम सीरवी की 260/292 हिस्से की खातेदारी कृषि भूमि थी। उक्त कृषि भूमि में से अप्रार्थी संख्या 1 पताराम ने अपनी बहिन अप्रार्थी संख्या 2 जोगी देवी के पक्ष में दिनांक 24.04.2018 को पंजीबद्ध बक्शीशनामा निष्पादित किया, जिसके आधार पर न्याय आपके द्वारा केम्प में अपीलाधीन नामान्तरकरण स्वीकृत किया गया। पताराम ने अपने हिस्से 260/292 भूमि में से 64/292 भूमि बक्शीश की थी लेकिन केम्प में अत्यधिक कार्य प्रभार होने के कारण जल्दबाजी एवं सेवन से उक्त बक्शीशनामा का नामान्तरकरण दर्ज करते समय पताराम की 260/292 भूमि में से 64/292 की जगह सम्पूर्ण हिस्सा का नामान्तरकरण अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में दर्ज हो गया। जिसकी जानकारी अप्रार्थी संख्या 1 को होने पर दिनांक 11.11.2019 में उन्होनें प्रार्थी के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश कर जैर नामान्तरकरण को निरस्त कर पुनः बक्शीशनामा अनुसार भरने का निवेदन किया। इसके अतिरिक्त पटवारी हल्का की जांच दिनांक 11.11.2020 से भी जैर नामान्तरकरण के गलत स्वीकृति की जानकारी हुई। इसलिये विधिविरूद्ध स्वीकृत अपीलाधीन नामान्तरकरण को निरस्त फरमावे।

अति. जिला कलक्टर
पाली (राज.)

अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने दौराने बहस कथन किया कि जैर नामान्तरकरण पंजीबद्ध बक्शीशनामा दिनांक 24.04.2018 के अनुसार स्वीकृत किया जाना था परन्तु प्रार्थी ने विधिविरूद्ध तरीके से उक्त नामान्तरकरण स्वीकृत किया गया। जिसमें अप्रार्थी संख्या 1 का सम्पूर्ण हिस्सा अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में दर्ज कर दिया। इसलिये यदि जैर अपील को स्वीकार कर अपीलाधीन नामान्तरकरण को खारिज किया जाता है तो अप्रार्थीगण को कोई आपत्ति नहीं है।

हमने उभयपक्ष की श्रवणसुदा बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध सम्पूर्ण दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। जैर अपील तहसीलदार सोजत द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 299 दिनांक 18.06.2018 के विरूद्ध पेश की है। अपीलाण्ट द्वारा दिये गये प्रार्थना–पत्र हस्ब दफा 05 भारतीय म्याद अधिनियम एवं शपथ–पत्र एवं वर्णित तथ्यों के आधार पर हम प्रार्थना–पत्र एवं शपथ पत्र को अखंडित मानते हुए म्याद कण्डोन कर अपील श्रवणार्थ ग्रहण करते है। पत्रावली पर उपलब्ध रेकर्ड एवं दस्तावेजों से यह सुस्पष्ट है कि विवादित नामान्तरकरण संख्या 299 दिनांक 18.06.2018 जो कि पंजीबद्ध बक्शीशनामा दिनांक 25.04.2018 के आधार पर स्वीकृत किया गया है। उक्त बक्शीशनामा में खातेदार अप्रार्थी संख्या 1 पताराम ने मौजा नई ढाणी तहसील सोजत के खसरा संख्या 513 में अपने हक हिस्से 260/292 की भूमि में से 64/292 हिस्से की भूमि का बक्शीश अप्रार्थी संख्या 2 जोगी देवी के पक्ष में कर दिया तथा उक्त बक्शीशनामा के आधार पर विवादित नामान्तरकरण जो दर्ज किया गया है जिसका क्रमांक 299 है। उक्त नामान्तरकरण में अप्रार्थी संख्या 1 पताराम के हक हिस्से की सम्पूर्ण आराजी का इन्द्राज अप्रार्थी संख्या 2 जोगी देवी के पक्ष में कर दिया, जो प्रथम–दृष्ट्या त्रुटिपूर्ण है। इसके अतिरिक्त पटवारी हल्का सरदारसमन्द ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 08.01.2021 में भी यह तथ्य स्वीकृत किया कि न्याय आपके द्वारा 2018 में काम की व्यस्तता के कारण मेरे द्वारा सेवन से जैर नामान्तरकरण गलत दर्ज हो गया। नामान्तरकरण दर्ज करने से पूर्व हल्का पटवारी को उस नामान्तरकरण से संबंधित सभी पक्षकारों को सुनवाई का अवसर दिए जाने के पश्चात सावधानी पूर्वक नामान्तरकरण की कार्यवाही करनी चाहिए, लेकिन हस्तगत प्रकरण में ऐसा महसूस होता है कि हल्का पटवारी एवं राजस्व कार्मिकों ने ऐसी प्रक्रिया का पालन नहीं किया है। उपरोक्त समस्त तथ्यों के आधार पर एवं उभयपक्ष की सहमति के आधार पर जैर अपील नामान्तरकरण को यथावत रखा जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

परिणामस्वरूप अधिवक्ता अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाती है तथा तहसीलदार सोजत द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 299 दिनांक 18.06.2018 को अपास्त किया जाता है। तद्नुसार तहसीलदार, सोजत को प्रति प्रेषित कर निर्देशित करते है कि प्रकरण में पुनः हस्ब पंजीकृत बक्शीशनामा की उचित जांच कर सभी पक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए विधि सम्मत निर्णय पारित करें। निर्णय की सत्य प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख लौटाया जावे।

निर्णय आज दिनांक 28/01/2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. बजरंग सिंह)
अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली